संख्या-4/2015/620/60-1-15-1/3(12)/15

प्रेषक,

नन्द लाल प्रसाद,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ:: दिनांक मई, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तगत आयोजनागत पक्ष में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि से प्रथम छमाही के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-20/निदे0म0क0/निरा0म0पें0/ आयोजनागत/ 2015-16, दिनांक 24.04.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या83 के अधीन आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2015-16 में पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित कुल रू0 944101 हजार (रू0 चौरान्बे करोड़ इक्तालीस लाख एक हजार मात्र) के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही के व्यय हेतु रू0 472050.5 हजार (रू0 सैतालीस करोड़ बीस लाख पचास हजार पाच सौ मात्र) की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर एकमुश्त रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि से प्रदेश की आयोजनागत पक्ष की निराश्रित अनुसूचित जाति की महिलाओं को रू0 300- प्रतिमाह की दर से 06 माह की पेंशन की धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इससे अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का भुगतान क्रेडिट इनवाइस के माध्यम से किया जायेगा और धनराशि किसी भी दशा में बैंक अधिकारी के खाते में नहीं रखी जायेगी। लाभार्थियों के चयन तथा सहायता राशि के आहरण भुगतान के निर्धारित प्रक्रिया का एस0सी0पी0 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन महिला कल्याण विभाग द्वारा सुनिशिचत किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय-16 में उल्लिखित सहायक अनुदान के नियम प्रवृत्त होगें।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि में नक्सल प्रभावित सीमावर्ती जनपदों के ग्रामों एवं चयनित समग्र ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु अपेक्षित व्ययभार भी समिमलित है। इन योजनाओं के शत-प्रतिशत संतृप्तीकरण का विशेष ध्यान रखा जाए। चयनित ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रसारित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिशिचत किया जाए।

(5) उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष में मुख्य लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02- समाज कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-06 निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण हेतु अनुदान-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

(6) उक्त धनराशि सम्बनिधत जनपदों को तत्काल आवंटित कर दी जाए तथा जनपदवार उपभोग प्रमाण पत्रों के आधार पर मासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्ययउपभोग उसी कार्यप्रयोजन के लिए किया जाएगा, जिस कार्य के लिए उक्त धनराशि स्वीकृत की गई है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसके लिए निदेशक, महिला कल्याण उत्तरदायी होगें।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-बी0-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में दिये गये निर्देशों के संबंध में जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः- यथोपरि।

भवदीय,

(नन्द लाल प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या-620(1)/60-1-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक स्थानीय निकाय,निधि लेखा, उ0प्र0, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- बजट प्रकोष्ठ , समाज कल्याण विभाग ।
6- नियोजन प्रकोष्ठ , समजा कल्याण विभाग।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्द लाल प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।